न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
80/2016 प्रा.पत्र/2016	09.12.2016	17.04.2026

जीसीएमएस नं 354/2016

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रक टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित निवासी ग्राम चैनपुरा वाया किचन तह. फलोदी जिला जोधपुर विकेता. मैसर्स जय अम्बे मारवाड स्वीट होम गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक।
2– श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री नाग सिंह निवासी 344 बाबनियों की ढाणी बावडी कलां तह. फलौदी जिला जोधपुर प्रोपरायटर मैसर्स जय अम्बे मारवाड स्वीट होम गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक।
3–मैसर्स जय अम्बे मारवाड स्वीट होम गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 17/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.08.2016 को समय 06.00 पी.एम. पर मैसर्स जय अम्बे मारवाड़ स्वीट होम गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जय अम्बे मारवाड़ स्वीट होम गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित ने प्रतिष्ठान का मालिक श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री नाग सिंह को होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के काउन्टर पर दो ट्रे में लगभग 8–9 किलोग्राम **मिल्क केक** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

शंका होने पर श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विकेता को यह बताकर कि दुकान में दो ट्रे में लगभग 8–9 किलोग्राम मिल्क केक को पूर्णतया होमोजिनियस कर **मिल्क केक** में से ज्यों का त्यों 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विकेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क केक** 2 किलोग्राम को बराबर–बराबर चार भाग तैयार, प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी कॉच की चार शिशियों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शिशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक शिशी के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयर टाईट बन्द कर नियामनुसार चार भाग तैयार कर, नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–1411 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1411 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/4081 दिनांक 04.10.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/495/एक्ट/2016/545 दिनांक 09.09.2016 के अनुसार विकेता से वास्ते मानकवत्तता की जांच करवाने हेतु कय किया गया खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री कल्याण सिंह दिनांक 31.03.2017 को उपस्थित हुए, उसके बाद निरन्तर अनुपस्थित। पुनः उपस्थित होने के लिए बार–बार नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं परन्तु अप्रार्थीगण स्वयं/प्रतिनिधि अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मिल्क केक** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मिल्क केक** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हो। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन चौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोक